PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"BEGAS GREEN'S"

IN KHASRA NO.- 1004/765, 1006/765.
AT VILLAGE :- BEGAS, TEH.- KALWAR, JAIPUR.

1515/B. 05.2.25

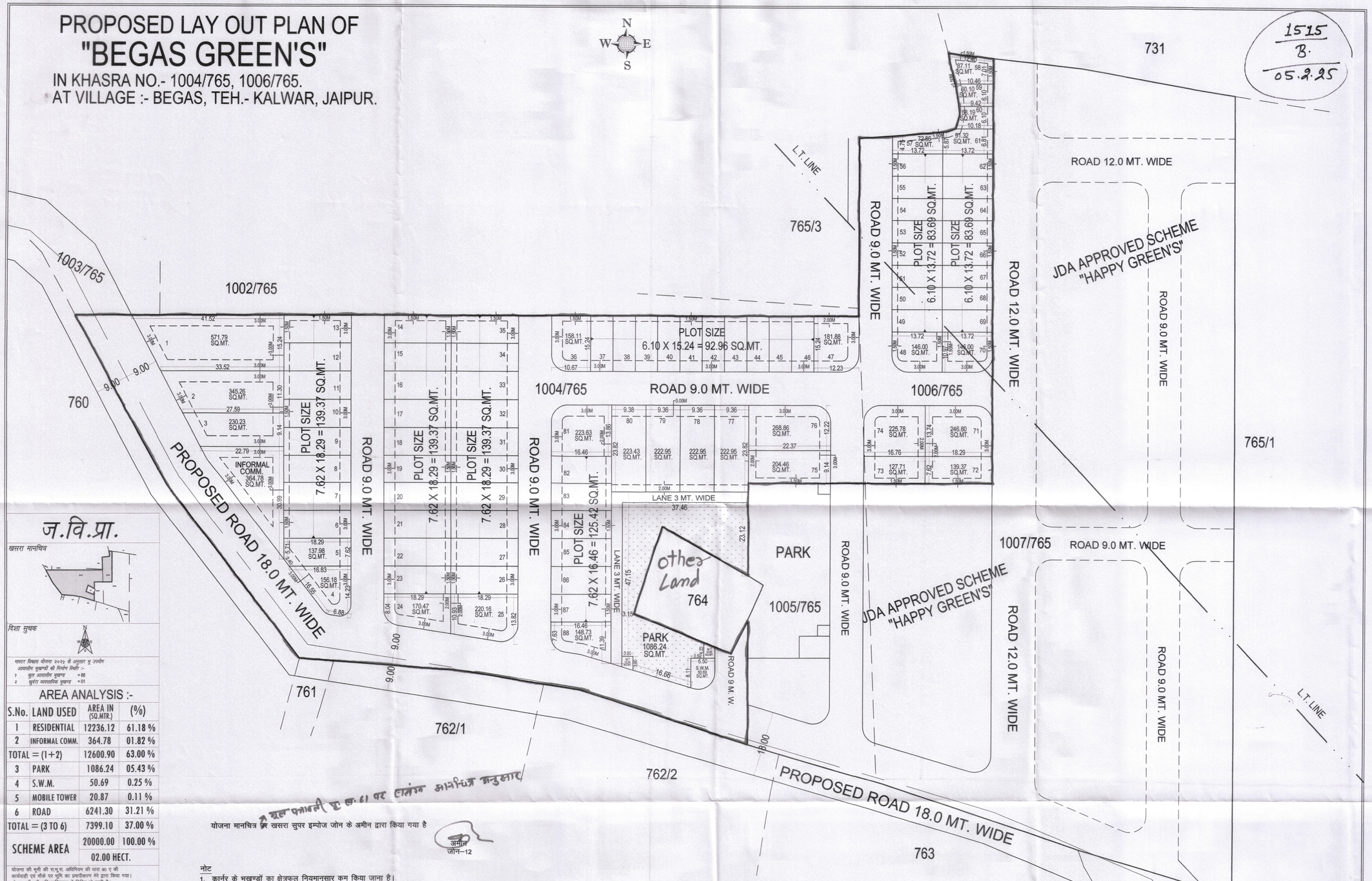

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

दिशा सुचक

मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
१ कुल आवासीय भूखण्ड = 88
२ कुर्तरा व्यवसायिक भूखण्ड = 01

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	12236.12	61.18 %
2	INFORMAL COMM.	364.78	01.82 %
TOTAL = (1+2)		12600.90	63.00 %
3	PARK	1086.24	05.43 %
4	S.W.M.	50.69	0.25 %
5	MOBILE TOWER	20.87	0.11 %
6	ROAD	6241.30	31.21 %
TOTAL = (3 TO 6)		7399.10	37.00 %
SCHEME AREA		20000.00	100.00 %
		02.00 HECT.	

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार — नाम उपायुक्त जोन:–

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम:– PROPOSED LAY OUT PLAN OF "BEGAS GREEN'S"
IN KHASRA NO.- 1004/765, 1006/765.
AT VILLAGE :- BEGAS, TEH.- KALWAR, JAIPUR.

जोन संख्या = 12

पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक | अति.सहायक नगर नियोजक | वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :- Cad Max PROJECTS (P) LTD.
201, Prism Tower, Opp. Police Headquarter, Lal Kothi Tonk Road, Jaipur-302015
Tel.: 0141-6101211, Mob.: +91-9829045031
Website: www.cadmaxpro.com, e-mail: info@cadmaxpro.com

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है

अमीन
जोन–12

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 21.11.2024 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 11, 58, 59, 60, 61 कुल भूखण्ड 8 कुल क्षेत्रफल 1583.37 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 379 वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जेडीपी 16 के अनुसार ग्रामीण है।
7. इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ–वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया हैं।

NOTE - योजना के भू. सं. 58 से 69 व भू. सं. 72 की सीमावर्ती भूखण्डों के पूर्वी दिशा में स्थित 12 मी. चौड़े के पूर्व रूप से विकसित होने के उपरान्त चारों की चौकोरी अन्त की सुविधिनता प्रदान करने की जावेगी।

सहायक नगर नियोजक जोन–12 | तहसीलदार जोन–12 | उपायुक्त जोन–12 | वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.) | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031